न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

नवान – परमेश्वरलाल बनाम रामगोपाल व अन्य

क्स्मः– आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट1955 (टी.आई.) मु.नं –404 वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा पत्र
5.11.2024	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसुन्दर द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी होकर तामिल करावे। पत्रावली पूर्व से जारी दावें के साथ आगामी तारीख पेशी 18.11.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सीकर
18/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी हाजिर। आज दिनांक तक तामिल लौटकर नहीं आई है। तामिल पुनः पेश करें व आगामी तारीख पेश तक रजिस्टर्ड तामिल रसीद पेश करें। पालना के अभाव में वाद-पत्र/प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया जायेगा। पत्रावली वास्ते तामिल दिनांक 29/11/24 को पेश हो।
29/11/24	पत्रावली पेश। अधि. वादी/प्रार्थी हाजिर। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्रावली में नोटेड किया गया है कि मूल वाद में P.D. जारी हो जाने से प्रार्थना-पत्र को नोटेड प्रेस में खारिज किया जावे। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी की अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नोटेड करने के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर तिकम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, सीकर

[illegible]